न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

अपील संख्या 45/2019

1. फकरू उर्फ फकरूद्दीन खान पुत्र अब्दुल हैद
2. कलाम पुत्र बरकती खान
3. गफ्फार पुत्र बरकती
4. सलाम पुत्र बरकती

समस्त जातियान मुसलमान निवासीयान महानन्दपुर डयोडाव तहसील वजीरपुर जिला सवाई माधोपुर।

अपीलांट

बनाम

1. अलीशेर पुत्र हुसैनी
2. सलीम पुत्र हुसैनी
3. रहमान पुत्र हुसैनी
4. फरमान पुत्र हुसैनी
5. रक्खी बेवा हुसैनी
6. नजीरन पुत्री हुसैनी
7. मुन्नी पुत्री हुसैनी
8. सूखा पुत्र मदारी

समस्त जातियान मुसलमान निवासीयान महानन्दपुर डयोडाव तहसील वजीरपुर जिला सवाई माधोपुर।

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

रेस्पो0

(अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी मु0न0 20/2017 निर्णय दिनांक 06.09.2019)

उपस्थित अभिभषाक

1. अपीलांट की ओर से श्री रिषीराम मीना
2. रेस्पो0 की ओर से श्री जुगल किशोर गर्ग

निर्णय दिनांक 29.07.2021

1. प्रस्तुत अपील अपीलांट की ओर [illegible] काश्तकारी अधिनियम 1955 (संक्षेप में अधिनियम 1955) के तहत मु0न0 [illegible] निर्णय दिनांक 06.09.2019 न्यायालय सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी के विरूद्ध [illegible] की गई है। अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अधि[illegible]0/सायलान की ओर स[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.02.28 17:56:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट का इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि आराजी ख.नं. 145 रकबा 43 ऐयर, 457 रकबा 17 ऐयर, 458 रकबा 15 ऐयर, 459 रकबा 13 ऐयर, 506 रकबा 2.14 हैक्टर कुल किता 5 कुल रकबा 3.02 हैक्टर ग्राम खिदरपुर तहसील वजीरपुर में स्थित है, जो हुसैनी, सूखा पुत्रगण मदारी व गोली पुत्र सुबराती मुसलमान से खिदरपुर की खातेदारी व कब्जे की है, खातेदार हुसैनी का स्वर्गवास हो चुका है। रेस्पो0/सायलान सं. 01 ल0 07 मृतक हुसैनी के वारिसान है। इस प्रकार उक्त भूमि रेस्पो0/सायलान व गोली पुत्र सुबराती की खातेदारी व कब्जे की भूमि है, जिसे रेस्पो0/सायलान व गोली काश्त करते चले आ रहे है। अपीलांट/गैरसायलान सं. 01 ल0 04 का उक्त भूमि से किसी प्रकार का कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। अपीलांट/गैरसायलान सं. 01 ल0 04 झगडालू किश्म के खूंखार व्यक्ति हैं जो ताकत के बल पर रेस्पों0/सायलान से उक्त भूमि को छीनना चाहते है। अपीलांट/गैरसायलान सं. 01 ल0 04 गांव में कई लोगों को ताकत के बल पर वेदखल कर उनकी भूमि पर कब्जा कर चुके हैं। दिनांक 12.06.2017 को रेस्पों0/सायलान अपनी उक्त भूमि में खरार करने गये तो अपीलांट/गैरसायलान सं. 01 ल0 04 हाथों में लाठी डन्डे लेकर आ गये और रेस्पो0/सायलान को खरार नहीं करने दी और जान से मार देने की धमकी देते हुऐ कहने लगे की इस भूमि पर हम कब्जा करेंगे। अपीलांट/गैरसायलान सं. 01 ल0 04 ने उक्त भूमि पर नाजायज कब्जा कर लिया तो रेस्पों0/सायलान का परिवार भूखा मर जायेगा। रेस्पों0/सायलान के गुजर बसर का जरिया एक मात्र उक्त कृषि भूमि ही है। अपीलांट/गैरसायलान को अस्थायी निषेधाज्ञा से पांबद नहीं फरमाया गया तो रेस्पों0/सायलान को नाकाविल तलाफी नुकसान होगा जिसकी पूर्ति द्रव्य में भी सम्भव नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलांट/गैरसायलान को जरिए अस्थायी निषेधाज्ञा ताफैसला वादपत्र इस आश्य से पाबंद फरमाया जावे कि वे उक्त विवादित आराजी के कब्जे काश्त में रेस्पों0/सायलान के साथ मजाहमत पैदा नहीं करें न हीं रेस्पों0/सायलान के उपयोग उपभोग में बाधा डालें। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से चाही गयी। रेस्पों0/सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार होने से अपीलांट/गैरसायलान के विरूद्व निर्णय पारित किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/गैरसायलान द्वारा अपील पेश की गयी है।

राजस्व अपील अधिकारी सवाई माधोपुर

2. अपील पेश होन पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। बहस उभयपक्ष अभिभाषकों की सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.02.28 17:56:14 IST
Reason: SelfAttested

3. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुये तर्क दिया है कि फैसला अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 06.09.2019 पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों व

Scanned with CamScanner

रिकार्ड के विपरीत होने के कारण निरस्त होने योग्य है। भूमि ख.नं. 506 रकबा 2.14 हैक्टेयर पर अपीलांट का कब्जा काश्त है। उक्त भूमि हुसैनी जो रेस्पो0 01 ल0 07 का पिता है के द्वारा अपीलांट के पिता बरकती के यहॉ 1,26,000/—रूपये में रहन रख दी गयी थी। इस लिखा पढी पर रेस्पों0 सलीम के भी हस्ताक्षर है फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करके भारी भूल की है। अधिनस्थ न्यायालय ने इस बात पर भी गौर नहीं किया कि आराजी ख.नं. 506 पर अपीलांट का कब्जा काश्त है फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को पाबंद करने में भारी भूल की है। उक्त आराजी पर रेस्पों0 का कब्जा काश्त नहीं है फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को पाबंद करने में भारी भूल की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर, अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमावे।

4. विद्वान रेस्पों0 के अभिभाषक ने उपरोक्त तर्कों का प्रतिरोध करते हुए अपील बहस में तर्क प्रस्तुत करते हुए बताया कि आराजी ख.नं. 145 रकबा 43 ऐयर, 457 रकबा 17 ऐयर, 458 रकबा 15 ऐयर, 459 रकबा 13 ऐयर, 506 रकबा 2.14 हैक्टर कुल किता 5 कुल रकबा 3.02 हैक्टर ग्राम खिदरपुर तहसील वजीरपुर में स्थित है, जो हुसैनी, सूखा पुत्रगण मदारी व गोली पुत्र सुबराती मुसलमान से खिदरपुर की खातेदारी व कब्जे की है, खातेदार हुसैनी का स्वर्गवास हो चुका है। रेस्पों0 सं. 01 ल0 07 मृतक हुसैनी के वारिसान है। इस प्रकार उक्त भूमि रेस्पों0 व गोली पुत्र सुबराती की खातेदारी व कब्जे की भूमि है, जिसे रेस्पों0 व गोली काश्त करते चले आ रहे है। अपीलांट सं. 01 ल0 04 का उक्त भूमि से किसी प्रकार का कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। भूमि ख.नं. 506 रकबा 2.14 हैक्टेयर जो अपीलांट के पिता बरकती के यहां रहन रखी गयी थी, राज0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 43 के अनुसार पांच वर्ष बाद स्वतः ही रहन मुक्त हो गयी है। अपीलांट सं. 01 ल0 04 झगडालू किश्म के खूंखार व्यक्ति हैं जो ताकत के बल पर रेस्पों0 से उक्त भूमि को छीनना चाहते है। अपीलांट सं. 01 ल0 04 गांव में कई लोगों को ताकत के बल पर वेदखल कर उनकी भूमि पर कब्जा कर चुके हैं। दिनांक 12.06.2017 को रेस्पों0 अपनी उक्त भूमि में खरार करने गये तो अपीलांट सं. 01 ल0 04 हाथों में लाठी डन्डे लेकर आ गये और रेस्पों0 को खरार नहीं करने दी और जान से मार देने की धमकी देते हुऐ कहने लगे की इस भूमि पर हम कब्जा करेंगे। अपीलांट सं. 01 ल0 04 ने उक्त भूमि पर नाजायज कब्जा कर लिया तो रेस्पों0 का परिवार भूखा मर जावेगा। रेस्पों0 के गुजर बसर का एक मात्र जरिए उक्त कृषि भूमि ही है। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

5. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.02.28 17:56:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

6. पत्रावली पर दिनांक 31.05.95 की एक लिखावट की प्रति उपलब्ध है जो हुसैनी पुत्र मदारी जाति फकीर द्वारा लिखी गयी है। इसमें ख.नं. 506 को रू 1,26,000/– में गिरवी रख देने का कथन किया है। राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 43 के अनुसार रहन भूमि पांच वर्ष बाद ही स्वतः ही रहन मुक्त हो जाती है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पूर्ण विवेचन व विश्लेषण के पश्चात किया गया है इसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अतः अपील खारिज योग्य है।

7. अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर गंगापुर के मु0नं0 20/2017 निर्णय दिनांक 06.09.2019 को यथावत रखा जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 29.07.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29.7.21

(बी0एल0रमण)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाईमाधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.02.28 17:56:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner